छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा अष्टम् सत्र अंक-01

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020

(कार्तिक 5, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरण दास महंत) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत/राज्यगीत

राष्ट्रगीत **"वन्दे मातरम्"** एवं राज्यगीत "**अरपा पइरी के धार**" की धुन बजाई गई ।

2. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वर्तमान में कोरोना कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लोकसभा की भांति छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी मेरे द्वारा माननीय मंत्रीगण तथा माननीय सदस्यों को सभा में उनके आसन से बैठकर ही बोलने की अनुमति प्रदान की गई है ।

3. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री प्रणव मुखर्जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, श्री चनेशराम राठिया, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री, श्री लुईस बेक, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, डॉ. चंद्रहास साहू, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, डॉ. राजेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री माधव सिंह ध्रुव, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री, श्रीमती शशिप्रभा देवी,

अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा की पूर्व सदस्य, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर एवं श्री देवप्रसाद आर्य, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सदस्य सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अजय चन्द्राकर, धनेन्द्र साहू, डॉ.रमन सिंह, श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, श्री मोहन मरकाम, सदस्य, श्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 12.17 बजे स्थगित की जाकर 12.31 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरण दास महंत) पीठासीन हुए।)

4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में लिये गये निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर चर्चा के लिये 3 घंटे का समय निर्धारित किया है ।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5. अगस्त, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार अगस्त, 2020 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

6. नियम 267-क के अधीन अगस्त, 2020 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन अगस्त, 2020 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

7. माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के अगस्त, 2020 सत्र में पारित कुल 12 विधेयकों में से 9 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

8. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

01. श्री सत्यनारायण शर्मा
02. श्री धनेन्द्र साहू
03. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
04. श्री शिवरतन शर्मा
05. श्री देवव्रत सिंह

9. पूच्छा

श्री शिवरतन शर्मा एवं अन्य सदस्यों द्वारा 01 नवम्बर से धान खरीदी कराये जाने की घोषणा किये जाने की मांग की ।

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये ।)

(निरंतर व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.48 बजे स्थगित की जाकर 12.57 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरण दास महंत) पीठासीन हुए।)

10. औचित्य प्रश्न पर व्यवस्था

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि विधान सभा का विशेष सत्र बुलाने का औचित्य क्या है ? हिन्दुस्तान के इतिहास में आज तक कभी भी किसी विधेयक को पास करवाने के लिये विधान सभा का सत्र नहीं बुलाया गया है । सरकार के पास अध्यादेश लागू करने का प्रावधान है ।

सदस्य सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने भी विचार व्यक्त किये ।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने कथन किया कि अध्यादेश के माध्यम से भी कानून बना सकते हैं, इसमें अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी । कानून बनाना था इसलिये सत्र की आवश्यकता पड़ी ।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि-

विधान सभा का सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही आहूत हुआ है और सत्र में जो कार्य संपादित होना है, वह आज की कार्यसूची में उल्लेखित है । अत: मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को अमान्य करता हूं ।

(2) श्री अजय चन्द्राकर सदस्य ने कथन किया कि पिछले सत्र के आखिरी दिन व्यवस्था दी थी कि संसदीय सचिव के बारे में सरकार चाहे तो कल व्यवस्था निर्देश जारी कर सकती है और

अवगत करा देगी । इतने दिन होने के बाद भी सदन अवगत नहीं हुआ । इसमें आपकी व्यवस्था आनी चाहिये ।

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किये ।

श्री मोहम्मद अकबर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने कथन किया कि सत्र के आखिरी दिन आपका निर्देश हुआ था उसमें लिखा था कि सरकार चाहे तो यथा संभव जानकारी दे दे । उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि शीघ्र करेंगे ।

(3) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने उनके द्वारा दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आपकी सूचना मेरे विचाराधीन है ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि विधेयक के पुर:स्थापन के विरोध में दो आपत्तियां प्राप्त हुई हैं । पहली आपत्ति श्री अजय चन्द्राकर एवं उनके साथ दो सदस्यों की तथा दूसरी आपत्ति डॉ.रमन सिंह एवं उनके साथ अन्य सदस्यों की है । मैं पुर:स्थापन पर सदन की अनुमति लेने से पूर्व उनके पक्ष को सुनूंगा ।

निम्नलिखित सदस्यों ने आपत्तियां प्रस्तुत की :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने आपत्तियां प्रस्तुत कीं ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरण दास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री एवं श्री मोहम्मद अकबर, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने भी आपत्तियों पर विचार व्यक्त किये ।

12. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय सदस्यों ने विधेयक को पुर:स्थापित करने के संबंध में विभिन्न आपत्तियां प्रस्तुत की हैं । मैंने इस संबंध में माननीय सदस्यों, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं माननीय विधि मंत्री जी को सुना ।

चूंकि विधेयक में कोई वित्तीय व्यय अंतर्ग्रस्त नहीं है, अत: विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 61 (1) के अंतर्गत वित्तीय ज्ञापन एवं इस विधेयक से राज्य की संचित निधि में से कोई व्यय नहीं करना पड़ेगा अत: संविधान के अनुच्छेद 207(3) के तहत् इस विधेयक को इस सदन में पुर:स्थापित करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है ।

नियम 59 के संबंध में विधेयक को पुर:स्थापित करने के पूर्व राजपत्र में प्रकाशन करने के संबंध में जो आपत्ति है, उसके संबंध में छत्तीसगढ़ विधान सभा में यह परम्परा है कि नियमानुसार केवल विनियोग विधेयक को पुर:स्थापित करने के पूर्व राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और इसीलिये राजपत्र में प्रकाशित किये जाने के बाद विनियोग विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति नहीं ली जाती है और विनियोग विधेयक सीधे ही पुर:स्थापित कर दिया जाता है । छत्तीसगढ़ विधान सभा में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब भूतलक्षी प्रभाव वाले विधेयकों को विधान सभा में पुर:स्थापन के पश्चात् ही उनका प्रकाशन राजपत्र में किया गया था ।

मैंने भारत सरकार के "कृषक व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 के अध्याय-5 "प्रकीर्ण" की कंडिका-14 तथा संविधान के अनुच्छेद 254(2) का भी अवलोकन किया ।

चूंकि विधेयक नियम 60(2), 61 एवं 62 की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है अत: मैंने विधेयक को अनुमति प्रदान की है । विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने में कोई विसंगति नहीं है । उपरोक्त आधारों पर मैंने विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है । अत: विधेयक को पुर:स्थापित करने के संबंध में जो आपत्तियां प्रस्तुत की हैं, उनको मैं अमान्य करता हूं ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) पुर:स्थापित किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) पर विचार किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

डॉ.रमन सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरण दास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री अजय चन्द्राकर,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बृहस्पत सिंह, शिवरतन शर्मा, मोहन मरकाम,

14. बहिर्गमन

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा श्री मोहन मरकाम, सदस्य द्वारा नेता प्रतिपक्ष के लिये की गई टिप्पणी के विरोध में, सदन से बहिर्गमन किया गया ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरण दास महंत) पीठासीन हुए।)

15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री देवव्रत सिंह,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, धनेन्द्र साहू, धर्मजीत सिंह, बृजमोहन अग्रवाल,

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरण दास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ ।

खंड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 29 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

16. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

पंचम विधानसभा का यह अष्टम सत्र, जो 27 एवं 28 अक्टूबर, 2020 के लिए आहूत किया गया था, सत्र हेतु निर्धारित कार्य पूर्ण हो जाने के कारण आज इस सत्र का समापन हो रहा है ।

हमारा छत्तीसगढ़ कृषि आधारित प्रदेश है । किसान भाईयों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस विशेष सत्र में कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक पारित किया गया, जिस पर 04 घंटे 51 मिनट चर्चा हुई ।

उत्साह और उमंग का पर्व दीपावली आने को है, मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं ।

इस एक दिवसीय सत्र में आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं । आगामी सत्र जो कि शीतकालीन सत्र होगा, जिसकी संभावित तिथियों की घोषणा मैंने पूर्व सत्र के अंतिम दिवस की थी, तद्नुसार ही होगी ।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ ।

17. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई।)

सायं 07.18 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा